

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

106 / 2017
08.12.2017

कंवरपाल पुत्र फूलचंद जाति मीणा निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलान्त
बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप
दिनांक 10.10.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



(1) श्री बैनी प्रसाद गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 28.12.2017

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2017 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.02 है० किस्म बजंड वाके ग्राम रोहित पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलांत ने उक्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही अपीलांत ने तारो की बाड लगायी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवायी है और ना ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई

का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का उल्लेख किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोहित के खसरा नम्बर 339 रकबा 0.02 है० किस्म बजंड भूमि पर तारो की बाड लगाकर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का के बयान से सिद्ध है अपीलान्ट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में मिसल संख्या 2430/2017 में अपीलान्ट को बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मैंने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2017 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार सोप यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक